प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4097/2011

याचिकाकर्तागण : गिरीश शर्मा और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2996/2011

याचिकाकर्ता : मोनिका उइके

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2649/2011

याचिकाकर्ता : पुनिया कुमारी धीवर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2651/2011

याचिकाकर्ता : राजेश कुमार राज उइके

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2650/2011

याचिकाकर्ता : ऋषि कुमार मोर्से

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2654/2011

याचिकाकर्ता : दयाल सिंह राजपूत

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2653/2011

याचिकाकर्ता : श्रीमती प्रीति

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3033/2011

याचिकाकर्ता : भरोसाराम निर्मलकर

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3042/2011

याचिकाकर्ता : नटवरलाल निर्गुण

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3043/2011

याचिकाकर्ता : दयाराम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3044/2011

याचिकाकर्ता : अनिल पैकरा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2587/2011

याचिकाकर्ता : दुर्गेश कुमार साहू

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2548/2011

याचिकाकर्ता : ममता कौशिक

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2547/2011

याचिकाकर्ता : सविता सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2599/2011

याचिकाकर्ता : किरण श्रीवास

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2588/2011

याचिकाकर्ता : विनय कुमार वर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2592/2011

याचिकाकर्ता : इंद्रमणि पैकरा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2595/2011

याचिकाकर्ता : संतोष कुमार पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2596/2011

याचिकाकर्ता : निशा सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2586/2011

याचिकाकर्ता : योगेंद्र कुमार घिटोड़े

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2541/2011

याचिकाकर्ता : विनोद कुमार देवांगन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2590/2011

याचिकाकर्ता : मोहन कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2594/2011

याचिकाकर्ता : योगिता सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2997/2011

याचिकाकर्ता : कु. आभा केरकेट्टा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2998/2011

याचिकाकर्ता : अनीता माहेश्वरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3285/2011

याचिकाकर्ता : अनीता कुमारी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3381/2011

याचिकाकर्ता : रविशंकर सोनवानी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3391/2011

याचिकाकर्ता : अंतर्यामी विशाल

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 491/2012

याचिकाकर्ता : जय कुमार टोप्पो और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3506/2011

याचिकाकर्ता : महेश सिंह मरकाम

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3065/2011

याचिकाकर्ता : सविता मिरे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3066/2011

याचिकाकर्ता : राघवेंद्र कुमार नामदेव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3067/2011

याचिकाकर्ता : शंकर लाल खुंटे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6692/2011

याचिकाकर्ता : दिनेश कुमार चंद्र

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3107/2011

याचिकाकर्ता : दिनेश कुमार

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3108/2011

याचिकाकर्ता : महेंद्र कुमार पथारी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3109/2011

याचिकाकर्ता : शांति यादव

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 58/2013

याचिकाकर्तागण : प्रदीप कुमार सोनी और एक अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

.....

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एच.वी. शर्मा, श्रीमती रेनू कोचर और सुश्री मेहा कुमार, अधिवक्तागण ।

राज्य की ओर से श्री श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप-महाधिवक्ता।

.....

मौखिक आदेश

(21.03.2013)

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा,

(1) इन रिट याचिकाओं के समूह में, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 6.4.2011 एवं दिनांक 7.4.2011 को कलेक्टर, कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) (संक्षेप में "अधिनियम") के अंतर्गत पारित आदेशों को चुनौती दी है। कुछ प्रकरणों में दिनांक 22 फरवरी, 2011 के प्रथम आदेश को चुनौती दी गई है तथा कुछ अन्य प्रकरणों में दोनों आदेशों अर्थात् दिनांक 22.2.2011 एवं 6.4.2011 को चुनौती दी गई है। यद्यपि, विचारणीय विवाद्यक समान होने के कारण, क्योंकि सभी याचिकाएँ कलेक्टर, कोरबा द्वारा पारित आक्षेपित कार्यवाही/आदेश से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा में शिक्षा कर्मी वर्ग-III की नियुक्ति/कार्यान्वयन को स्थगित किया गया है, अतः सभी याचिकाओं को एक साथ सुना गया और इस एक समान आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि जनपद पंचायत पाली ने शिक्षा कर्मी वर्ग-III के 126 पदों को भरने हेतु एक विज्ञापन जारी किया था तथा चयन प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 5.2.2011 एवं 7.2.2011 को काउंसलिंग आयोजित की गई। किन्तु, 126 शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति प्रवीण्यता के क्रम में करने के बजाय, संबंधित जनपद पंचायत ने बिना किसी चयन सूची जारी किए तथा बिना प्रवीण्यता का पालन किए, मनमाने एवं अविवेकपूर्ण तरीके से नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। इस प्रक्रिया में लगभग 175 शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गए। जब 126 शिक्षा कर्मियों को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने के पश्चात शेष को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई, तब विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शिकायत दर्ज की गई। इस पर संबंधित कलेक्टर ने जिला पंचायत, कोरबा के माध्यम से जांच कराने का निर्देश दिया। जांच एक समिति द्वारा की गई, जिसमें डॉ. ललित शुक्ला (अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, कोरबा), डॉ. ए.के. तपसी (सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा) एवं श्री जे.एल. शांडिल्य (सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा) शामिल थे।

(3) जिला पंचायत, कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की गई पूर्व जांच के पश्चात यह पाए जाने पर कि नियुक्तियों में व्यापक अनियमितताएँ हुई हैं, संबंधित कलेक्टर ने दिनांक

22.2.2011 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश द्वारा काउंसलिंग तथा चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश को रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1442/2011 में चुनौती दी गई, क्योंकि इस आदेश के पश्चात नियुक्तियाँ भी निरस्त कर दी गई थीं। इस बीच, दिनांक 6.4.2011 का दूसरा आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था। न्यायालय ने यह पाया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) के अंतर्गत कलेक्टर काउंसलिंग को निरस्त नहीं कर सकता था, बल्कि वह केवल कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता था। अतः सेवा समाप्ति के आदेशों को निरस्त कर दिया गया। हालाँकि, न्यायालय ने दिनांक 6.4.2011 के आदेश की प्रकृति एवं वैधता पर विचार नहीं किया, क्योंकि पूर्व मुकदमें में उसे चुनौती नहीं दी गई थी। जब दिनांक 6.4.2011 के दूसरे आदेश के बाद शिक्षा कर्मियों को कार्य करने से रोका गया, तब वर्तमान रिट याचिकाओं का समूह दायर किया गया, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 6.4.2011 को अभिखण्डित करने की प्रार्थना की गई है।

(4) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नियुक्ति आदेश पहले ही प्रभावी हो चुका था, अतः उसके कार्यान्वयन को कलेक्टर द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता था। उनका यह भी तर्क है कि कलेक्टर को जनपद पंचायत द्वारा की गई नियुक्ति अथवा काउंसलिंग की समीक्षा या पुनरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम, 1995 (संक्षेप में "नियम, 1995") में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए। चूँकि उक्त नियमों के अंतर्गत पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है, और यह अवसर याचिकाकर्ताओं को प्रदान नहीं किया गया, अतः आक्षेपित आदेश दोषपूर्ण है। अधिवक्ताओं ने अधिनियम की धारा 94 का भी संदर्भ लिया है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि कुछ अनियमितताएँ थीं भी, तो संपूर्ण चयन सूची को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था तथा यह मामला व्यापक अनियमितताओं का नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि चूँकि याचिकाकर्ता पहले से कार्यरत थे, अतः उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। चूँकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, इसलिए आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

(5) इसके विपरीत, माननीय उप महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जांच प्रतिवेदन, जिसमें व्यापक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, को चुनौती नहीं दी गई है, अतः ये रिट याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं। उनका यह भी कहना है कि कलेक्टर ने पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि केवल छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85(1)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया है। अतः यह शक्ति प्रशासनिक प्रकृति की होने के कारण, कलेक्टर ने अपने अधिकारिता के भीतर रहकर पूर्व आदेश में संशोधन किया है।

(6) पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

(7) जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि काउंसलिंग आयोजित करते समय जनपद पंचायत ने अभ्यर्थियों की प्रवीण्यता क्रम का पालन नहीं किया, बल्कि नियुक्ति आदेश ऐसे जारी किए गए मानो "पहले आओ, पहले पाओ" का सिद्धांत अपनाया गया हो। याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई प्रवीण्य सूची अथवा चयन सूची प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे अपनी प्रवीण्यता के अनुसार नियुक्ति के पात्र थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद पंचायत ने एक प्रकार से शिविर आयोजित कर, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत की जाँच किए बिना ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। चयन सूची के अभाव में, जनपद पंचायत के लिए मेरिट का पालन करना संभव ही नहीं था। जांच समिति ने यह भी पाया कि चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने के बजाय, 176 व्यक्तियों को पृथक-पृथक नियुक्ति पत्र जारी किए गए। यद्यपि यह दर्शाने हेतु अभिलेख में यह उल्लेख किया गया कि नियुक्ति आदेशों की प्रतियाँ विभिन्न अधिकारियों को भेजी गई हैं, किन्तु वास्तविकता में प्रतियाँ भेजी ही नहीं गईं, और कम-से-कम जिला पंचायत को तो कोई नियुक्ति आदेश प्राप्त ही नहीं हुआ, जबकि उसे प्रति प्रेषित दर्शाया गया था। यह भी उल्लेखित है कि यद्यपि विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 4.2.2011 को नियुक्ति पत्र जारी न करने हेतु पत्र जारी किया था, तथापि जनपद पंचायत ने उस संप्रेषण की अवहेलना करते हुए काउंसलिंग आयोजित की और नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। इस प्रकार, जनपद पंचायत द्वारा व्यापक एवं सर्वव्यापी अवैधताएँ तथा अनियमितताएँ की गई हैं, जिससे संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण हो गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) भारत संघ बनाम ओ. चक्रधर (2002) 3 एससीसी 146 और कृष्ण यादव बनाम हरियाणा राज्य (1994) 4 एससीसी 165 के प्रकरणों में, व्यापक अनियमितताओं के प्रकरणों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के संबंध में सिद्धांत स्थापित किया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि की गई अनियमितताएँ इतनी व्यापक एवं सर्वव्यापी हों कि उनके कारण परिणाम प्रभावित हो जाए और यह निर्धारित करना कठिन हो जाए कि किन व्यक्तियों को अवैध रूप से लाभ हुआ या किन्हें अनुचित तरीके से वंचित किया गया, तो ऐसे प्रकरणों में प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से कारण बताओ नोटिस देना न तो संभव होता है और न ही

आवश्यक। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करना होता है। अनियमितताओं के पीछे के उद्देश्य का भी महत्व होता है।

(9) वर्तमान प्रकरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद पंचायत ने न तो कोई चयन सूची तैयार की और न ही मेरिट का पालन किया, बल्कि एक अव्यवस्थित काउंसलिंग आयोजित कर नियुक्ति पत्र ऐसे वितरित किए मानो किसी अभ्यर्थी को अनुग्रह प्रदान किया जा रहा हो। जब मेरिट को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया हो और किसी अभ्यर्थी की वास्तविक प्रवीण्यता स्थिति ज्ञात ही न हो, तब यह पृथक करना कठिन हो जाता है कि किसका चयन वैध था और किसने अनुचित तरीके से नियुक्ति प्राप्त की। अतः, यदि काउंसलिंग के परिणाम/नियुक्ति के क्रियान्वयन को स्थगित करने से पूर्व व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किए गए, तो भी कलेक्टर द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(10) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) के अंतर्गत कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव, जारी आदेश, प्रदत्त अनुज्ञा या अनुमति के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है अथवा किसी कार्य के निष्पादन पर रोक लगा सकता है, यदि उसकी राय में वह प्रस्ताव, आदेश, अनुज्ञा या कार्य विधि अनुसार पारित/जारी/प्रदत्त या अधिकृत नहीं है। यह शक्ति प्रशासनिक प्रकृति की है, क्योंकि यह किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित नहीं होती। यदि कलेक्टर द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया और तत्पश्चात दिनांक 6.4.2011 को उसमें संशोधन किया गया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कलेक्टर ने पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 91 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम, 1995 के अंतर्गत प्रदत्त स्वप्रेरणा पुनरीक्षण की शक्ति से भिन्न है। चूँकि कलेक्टर ने पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अतः नियम 5 के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिसमें पुनरीक्षण प्राधिकारी को आदेश पारित करने से पूर्व अन्य पक्ष को सुनना अनिवार्य किया गया है।

(11) इस न्यायालय के मत में, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का सही प्रयोग किया है और दिनांक 22.2.2011 के पूर्व आदेश में संशोधन किए जाने में कोई अवैधता नहीं है, क्योंकि यह निर्विवाद है कि उक्त अधिनियम की धारा 85(1) के अंतर्गत कलेक्टर को किसी आदेश को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 7.4.2011 (अनुलग्नक पी./4) के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संप्रेषण द्वारा राज्य शासन ने समस्त अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित कर दिया है। अतः छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85(2) की आवश्यकताओं का भी पालन किया गया है, और इस प्रकार दिनांक 6.4.2011 का कलेक्टर का आदेश किसी भी दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

(12) इन रिट याचिकाओं में कोई भी सार प्रतीत नहीं होता है, अतः ये असफल होती हैं और इन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-

(पी.के. मिश्रा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate